तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अपील, प्रेम जैन बनाम सरकार (अति. जिला कलक्टर धौलपुर) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 04/2021)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22.2.2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः सुगम/सू.अ./2021/699 दिनांक 11.2.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना उप खण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पत्र कमांकः 101 दिनांक 22.1.2021, उपखण्ड अधिकारी बाडी द्वारा पत्र कमांक 75–76 दिनांक 28.1.2021, उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा द्वारा पत्र कमांक 83 दिनांक 8.2.2021 एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा पत्र कमांक 07 दिनांक 22.1.2021 के जरिये अपीलार्थी श्री प्रेम जैन को उपलब्ध कराई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। अतः इस प्रकार उप खण्ड अधिकारी धौलपुर, उपखण्ड अधिकारी बाडी, उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करादी गई है। पत्र की प्रतियॉ संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	